पत्र सं0-सं0सं0-04/निबंधन-23/2014 301/आ.नि.नि. दिनांक:- 19/06/18

बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय

बिहार, पटना।

संस्थाओं के निबंधन का प्रतिसंहरण

1. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 52 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एवं गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्था सेवा संकल्प एवं विकास समिति, साहु रोड, मुजफ्फरपुर के सम्बन्ध में दैनिक समाचार-पत्रों एवं अन्य समाचार माध्यमों से प्राप्त समाचारों का स्वतः संज्ञान लेते हुए संस्था को इस कार्यालय के निबंधन सं0-185 दिनांक-10/05/2016, पत्रांक-247/आ0नि0को दिनांक-10.05.2016 के अन्तर्गत प्रदत्त निबंधन को एतद् द्वारा प्रतिसंहरित (Revocate) किया जाता है।
2. संस्था के निबंधन के प्रतिसंहरण के आलोक में बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के नियम-8(4) के प्रावधान अनुरूप संस्था को निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता समाप्त हो जाती है।

19.06.18
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-04/निबंधन-23/2014-301/आ.नि.नि. दिनांक- 19/06/18

प्रतिलिपिः-जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.06.18
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-04/निबंधन-23/2014-301/आ.नि.नि. दिनांक- 19/06/18

प्रतिलिपिः-निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, पटना/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.06.18
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-04/निबंधन-23/2014-301/आ.नि.नि. दिनांक- 19/06/18

प्रतिलिपिः-सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.06.18
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।